

सं. शिक्षा/जि.पं./लेखा/दीव/संगीत साधन/२०१७-१८/ 631  
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,  
जिला पंचायत कार्यालय,  
शिक्षा अनुभाग,  
दीव.  
दिनांक :- १६/११/२०१७.

### सीमित निविदा


इस विभाग के शैक्षिक संस्थानों में प्रयोग हेतु आपकी फॉर्म से निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु सशर्त सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	सामग्रियों का विवरण	आवश्यक मात्रा	कीमत प्रति नंग/सामग्री
1	Harmonium	19	
2	Tabala	21	
3	Khanjari	46	
4	Flute	35	
5	Dholak	18	
6	Bongos	14	
7	Bugle	16	
8	Manjira (pair)	85	
9	Maracas	37	
10	Trumpet	13	

#### शर्त :-

- बिक्री कर, पैकिंग/प्रेषण प्रभार आदि को जोड़ते हुए अंतिम दर दी जाए ।
- सामग्रियों की प्राप्ति के उपरान्त तथा बिल के पास होने पर यथाशीघ्र राशि का भुगतान कर दिया जाएगा ।
- आपूर्ति आदेश प्राप्ति के **10 दिनों** के अंदर सामग्रियों की आपूर्ति शिक्षा विभाग, जिला पंचायत, दीव में करनी होगी ।
- सामग्री यदि संतोषजनक नहीं हुई तो आपूर्तिकर्ता स्वयं के खर्च पर उसे वापस ले जाएगा ।
- सीमित निविदा सीलबंद लिफाफे में **01/12/2017** को दोपहर **03.00 बजे** तक या उससे पहले प्रस्तुत कर देनी है और वह उसी दिन दोपहर **04.00 बजे** खोली जाएगी । सीलबंद लिफाफे के ऊपर "संगीत साधन की आपूर्ति के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए ।
- बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा । मूल बिल पर राजस्व टिकट चिपका होना चाहिए ।
- डीलर को जिएसटी विभाग से पंजीकृत होना आवश्यक है ।
- डीलर को निविदा में उल्लिखित वस्तुओं के व्यवसाय से संबद्ध होना चाहिए ।
- निविदाकर्ता को सीमित निविदा सावधानी पूर्वक और ठीक-ठीक भरना चाहिए ।
- निविदाकार को निविदा में दर्शायी गई दर में सुधार/ओवर राइटिंग नहीं करनी होगी और न ही अनर्गल दर देना होगा ।
- निविदा में दर्शायी गई राशि/दर स्पष्ट रूप से पढ़े जाने योग्य होनी चाहिए ।

12. निविदाकार को अच्छी ब्रांड/गुणवत्ता वाली वस्तु के लिए दर देना होगा ।
13. किसी भी निविदा/भावपत्रक में सुधार/ओवर राइटिंग पाया जाएगा तो उसे सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा ।
14. निविदाकार को उपरोक्त वस्तुं विधालय की आवश्यकता अनुसार १९ सेट तैयार करके विधालय को पहोचाना होग। जिसका लिस्ट सप्लाय आदेश के साथ दिया जाएगा।
15. सीमित निविदा [www.diu.gov.in](http://www.diu.gov.in) वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है ।
16. किसी भी या सभी सीमित निविदा को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकारी अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है ।

  
(वंदना राव) 1/11/17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला पंचायत, दीव.

सेवा में.

.....